# भारत सरकार
# रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पी सी –VI/327 आर बी ई सं. 112/2013
सं. पी सी– VI/2008/I/7/2/2 नई दिल्ली, दिनांक 29.10.2013

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(डाक सूची के अनुसार).

विषय : रेल पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनधारियों को महंगाई राहत प्रदान करना–01.07.2013 से प्रभावी संशोधित दर।

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के 03.10.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं.42/13/2012–पी एंड पीडब्ल्यू (जी) की एक प्रतिलिपि इस पत्र के साथ सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। ये आदेश आवश्यक परिवर्तनों सहित रेलों पर भी लागू होंगे।

2. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संलग्न कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अनुदेश और रेलवे बोर्ड द्वारा जारी तदनुरूपी अनुदेशों को नीचे आमने–सामने दिया गया है:–

| क्र. सं. | पैरा सं. | पेंशन एवं पेंशनभागी कल्याण विभाग के का.ज्ञा. की सं. एवं तारीख | रेलवे बोर्ड द्वारा जारी तदनुरूपी आदेशों की सं. एवं तारीख |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 | का.ज्ञा.सं. 42/13/2012 पी एंड पीडब्ल्यू (जी) दिनांक 02.05.2013 | पी सी– VI/2008/I/7/2/2 दिनांक 07.05.2013 |
| 2. | 2 | (i) का.ज्ञा.सं. 23/1/97 पी एंड पीडब्ल्यू (बी) दिनांक 23.02.1998<br>(ii) का.ज्ञा.सं. 23/3/2008 पी एंड पीडब्ल्यू (बी) दिनांक 15.09.2008. | कुछ नहीं |
| 3. | 3 | (i) का.ज्ञा.सं.4/59/97 पी एंड पीडब्ल्यू (डी) दिनांक 14.07.1998<br>(ii) का.ज्ञा.सं.4/29/99 पी एंड पीडब्ल्यू (डी) दिनांक 12.07.2000 | (i) एफ(ई)III/96/पीएन1/9 दिनांक 18.08.1998<br>(ii) एफ(ई)III/96/पीएन1/9 दिनांक 02.08.2000 |
| 4. | 5 | (i) का.ज्ञा.सं. 45/73/97- पी एंड पीडब्ल्यू (जी) दिनांक 2.07.1999<br>(ii) का.ज्ञा.सं.38/88/2008-पी एंड पीडब्ल्यू (जी) दिनांक 09.07.2009 | (i)एफ(ई)III/99/पीएन1/21 दिनांक 05.08.1999<br>(ii)एफ(ई)III/2008/पीएन1/13 दिनांक 20.07.2009 |

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोपरोक्त (चार पृष्ठों में)

(विकम गुलाटी)
निदेशक/वेतन आयोग-II
रेलवे बोर्ड.

सं. पी सी– VI/2008/I/7/2/2 नई दिल्ली, दिनांक 29.10.2013

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियां सहित) को प्रतिलिपि अग्रेषित ।

कृते वित्त आयुक्त, रेलें.

# Government of India भारत सरकार
# Ministry of Railways रेल मंत्रालय
# (Railway Board रेलवे बोर्ड)

**S.No. PC-VI/327** **RBE NO. 112 /2013**

**No. PC-VI/2008/I/7/2/2** **New Delhi, dated 29.10.2013**

The GMs/CAO(R),
All zonal Railways & Production Units,
(as per mailing list).

**Sub : Grant of Dearness Relief to Railway pensioners/family pensioners - Revised rate effective from 01.07.2013.**

A copy of Office Memorandum No.42/13/2012-P&PW (G) dated 03.10.2013 of Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Pension and Pensioners' Welfare) on the above subject is enclosed for your information and necessary action. These orders will apply mutatis mutandis on the Railways also.

2. A concordance of DOP&PW's instructions referred to in the enclosed Office Memorandum and Railway Board's corresponding instructions are given below:-

| S. No. | Para No. | No. & date of Deptt. of Pension & Pensioners' Welfare's O.M. | No. & date of corresponding orders issued by Railway Board |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 | O. M. No. 42/13/2012 P&PW (G) dated 02.05.2013. | PC-VI/2008/I/7/2/2 dated 07.05.2013 |
| 2 | 2 | (i) O. M. No. 23/1/97- P&PW (B) dated 23.02.1998.<br>(ii) O. M. No. 23/3/2008 P&PW (B) dated 15.09.2008. | N.A. |
| 3 | 3 | (i) O. M. No. 4/59/97-P&PW(D) dated. 14.07.1998<br>(ii) O. M. No. 4/29/99 P&PW(D) dated.12.07.2000 | (i) F(E)III/96/PN1/9 dated.18.08.1998<br>(ii) F(E)III/96/PN1/9 dated 02.08.2000 |
| 4. | 5. | (i) O. M. No. 45/73/97-P&PW(G) dated 02.07.1999<br>(ii) O.M.No. 38/88/2008-P&PW(G) dated 9.7.2009 | F(E)III/99/PN1/21 dated 05.08.1999<br>F(E)III/2008/PN1/13 dated 20.7.2009 |

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

DA: As above (In four pages)

(Vikram Gulati)
**Director, Pay Commission-II**
**Railway Board.**

**No. PC-VI/2008/I/7/2/2** **New Delhi, dated 29.10.2013**

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 222, Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares).

**for Financial Commissioner/Railways.**

**फा0 सं0. 42/13/2012-पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी)**
**भारत सरकार**
**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय**
**पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग**

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 03 अक्टूबर, 2013

## कार्यालय ज्ञापन

**विषय : केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की स्वीकृति - संशोधित दर दिनांक 1.7.2013 से लागू ।**

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 2.05.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं0 42/13/2012-पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी) का संदर्भ देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को देय महंगाई राहत दिनांक 1.7.2013 से मौजूदा 80% से बढ़ाकर 90% कर दी जाएगी ।

2. ये आदेश (i) सभी सिविलियन केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों (ii) रक्षा सेवा एस्टीमेट से भुगतान किए जाने वाले सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों, सिविलियन पेंशनभोगियों, (iii) अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों, (iv) रेलवे पेंशनभोगियों तथा (v) बर्मा सिविलियन पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों तथा पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों जो भारतीय नागरिक हैं, किंतु जिन्हें पाकिस्तान सरकार के सौजन्य से पेंशन प्राप्त हो रही है, तथा जो इस विभाग के दिनांक 15.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 23/3/2008-पी एण्ड पी डब्ल्यू(बी) के साथ पठित दिनाक 23.2.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं0 23/1/97-पी एण्ड पी डबल्यू (बी) के अनुसार 3500/- रूपए प्रतिमाह तदर्थ अनुग्रह भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, पर लागू होंगे ।

3. केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय में आमेलन होने पर एकमुश्त धनराशि आहरित किया था, तथा जो इस विभाग के दिनांक 14.07.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं0 4/59/97-पी एण्ड पी डबल्यू (डी) के अनुसार पेंशन के 1/3 संराशीकृत भाग की बहाली तथा बहाल की गई धनराशि के संशोधन के लिए अर्ह हो गए थे, वे पूर्ण पेंशन पर अर्थात् संशोधित पेंशन जो कि विलयित कर्मचारी बहाली के दिन प्राप्त करता यदि वह विलयन पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त न किया होता, इस विभाग के टिनांक 14.07.98 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 में दी गई शर्तों के पूरा होने के अधीन 1.7.2013 से 90% की दर से महंगाई राहत के भुगतान के हकदार होंगे । इस संबंध में इस विभाग के दिनांक 12.7.2000 के का0 ज्ञापन सं0 4/29/99-पी एण्ड पी डबल्यू(डी) में निहित अनुदेश देखें ।

4. महंगाई राहत के भुगतान में पैसे वाले अंश को अगले रूपए में परिवर्तित कर दिया जाएगा ।

क्रमशः..2..

5. नौकरी पेशा कुटुम्ब पेंशनभोगियों तथा पुनर्नियोजित केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के मामले में महंगाई राहत को अभिशासित करने वाले अन्य प्रावधान इस विभाग के दिनांक 2.7.1999 के कार्यालय ज्ञापन सं0 45/73/97-पी एण्ड पी डबल्यू(जी) तथा इस विभाग के यथासंशोधित दिनांक 9 जुलाई, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं0 38/88/2008-पी एण्ड पी डब्ल्यू (जी) में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगे । जहां पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है उन मामलों में महँगाई राहत के विनियमन से संबंधित प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

6. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में आवश्यक आदेश न्याय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे ।

7. प्रत्येक पृथक मामले में देय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित पेंशन संवितरण प्राधिकरणों की होगी ।

8. महालेखाकार कार्यालय एवं प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों से अनुरोध है कि वे सभी महालेखाकारों को संबोधित दिनांक 23/04/1981 के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पत्र सं0 528-टी ए, II/34-80-II तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं इसके सहायक बैंकों तथा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 मई, 1981 के परिपत्र सं0 जीएएनबी सं0 2958/जी ए-64 (ii) (सी जी एल)/81 के आधार पर किसी अन्य अनुदेश की प्रतीक्षा किए बिना उपर्युक्त अनुदेशों के आधार पर पेंशनभोगियों आदि को राहत भुगतान का प्रबंध करें ।

9. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग से संबंधित पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

10. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 1 अक्टूबर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं0 1(4)/ईवी/2004 की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

च. तनेजा

**(चरनजीत तनेजा)**
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और महालेखाकार ।

*पेंशन के बारे में आदेशों जिनमें उपर्युक्त आदेश शामिल हैं के लिए कृपया इस विभाग की वेबसाइट http://pensionersportal.gov.in देखें।*

F. No. 42/13/2012-P&PW(G)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
**Department of Pension & Pensioners' Welfare**

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi - 110003
Date: 3rd ,Oct , 2013

# OFFICE MEMORANDUM

**Subject : Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 1.7.2013.**

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/13/2012-P&PW(G) dated 2nd May, 2013 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief (DR) payable to Central Government pensioners/family pensioners shall be enhanced from the existing rate of 80 % to 90% w.e.f. 1stJuly, 2013.

2. These orders apply to (i) All Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners (ii) The Armed Forces Pensioners, Civilian Pensioners paid out of the Defence Service Estimates, (iii) All India Service Pensioners (iv) Railway Pensioners and (v) The Burma Civilian pensioners/family pensioners and pensioners/families of displaced Government pensioners from Pakistan, who are Indian Nationals but receiving pension on behalf of Government of Pakistan and are in receipt of ad-hoc ex-gratia allowance of Rs. 3500/- p.m. in terms of this Department's OM No. 23/1/97-P&PW(B) dated 23.2.1998 read with this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 15.9.2008.

3. Central Government Employees who had drawn lump sum amount on absorption in a PSU/Autonomous body and have become eligible to restoration of 1/3rd commuted portion of pension as well as revision of the restored amount in terms of this Department's OM No. 4/59/97-P&PW (D) dated 14.07.1998 will also be entitled to the payment of DR @ 90% w.e.f. 1.7.2013 on full pension i.e. the revised pension which the absorbed employee would have received on the date of restoration had he not drawn lump sum payment on absorption and Dearness Pension subject to fulfillment of the conditions laid down in para 5 of the O.M. dated 14.07.98. In this connection, instructions contained in this Department's OM No.4/29/99-P&PW (D) dated. 12.7.2000 refer.

4. Payment of DR involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

Contd..2..

5. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended vide this Department's OM No. F. No. 38/88/2008-P&PW(G) dated 9th July, 2009. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension, will remain unchanged.

6. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.

7. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

8. The offices of Accountant General and Authorised Public Sector Banks are requested to arrange payment of relief to pensioners etc. on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528-TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21st May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.

9. In their application to the pensioners/family pensioners belonging to Indian Audit and Accounts Department, these orders issue after consultation with the C&AG.

10. This issues with the concurrence of Ministry of Finance, Department of Expenditure conveyed vide their OM No. 1(4)/EV/2004 dt. 01st Oct, 2013.

11. Hindi version will follow.

Taneja

**( Charanjit Taneja)**
**Under Secretary to the Government of India**

To,

All Ministries/Departments of the Government of India/Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.

*Please visit this Department's website* ***http://pensionersportal.gov.in*** *for the orders on pension matters including above orders.*